

10/3/21

आज यह परावली वरील उअमपत्र के निकलने
 करने पर पेशी में ली गयी प्रार्थना के
 निकलने एवं प्रस्तुत प्रार्थना यह आधार
 पर मूल वाद खारिज किया जा चुका है
 अतः इस प्रकृत में आगे कोई कार्यवाही
 अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थना यह की
 कार्यवाही इसी स्तर पर ही जी जाकर
 प्रार्थना यह खारिज किया जाता है। तथा
 न्यायालय द्वारा जारी अडवार्स निर्धारित
 दिनांक 18.08.2020 को फिरला किया
 जाता है। परावली काल में शुभारंभ
 होकर इफ्तार हो। मूल वाद खलमग रही।

निवाही
 शान्ति
 सर
 दायर
 में

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
 रायसिंहगढ़

